


भारतीय धैर न्यायिक

दस
रुपये



TEN
RUPEES

रु. 10



INDIA

INDIA NON JUDICIAL



उत्तराखण्ड PRAKHAND

13AA 045035

शपथपत्र प्रारंभ 26 का मंग

समस्त - रिटनिंग काफ़ीलर
69- मानकमती (म.ज.का)
विधान सभा निवासी शोरा

जारी 2

Sworn and Affirmed before me by
Sri/Smt./Km. गीपाल सिंह राणा
Deponents Identified by Sn (का) - सी. राणा
The Contents of the Affidavit at
Khatima on 11.01.12
after forther understand the Con-
tents read Over to him

(Trilok Singh Bishu)
NOTARY / Advocate
Khatima (U.S. Nagar)
Uttarakhand (INDIA)

गीपाल सिंह राणा
शपथपत्र

Attested The signature/ of Executant/ deponent who has been signed by before me

11.1.12

Ramesh Chandra Joshi
Advocate
Civil Court Khatima (U S N)

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

5
57
(५ जनरल) (अ.न.जी) निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड जे.एन.समा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र.

मैं गोपाल सिंह राणा पुत्र/पुत्री/पत्नी कल्प सिंह आयु 62 वर्ष
जोकरा, अ.न.जी, जिला, उत्तराखण्ड का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1. मैं किसी भी ललित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ/हैं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।
(यदि अभिसाक्षी को किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी)

- (I) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं N.A.
(II) पुलिस थाना (थाने) N.A. जिला (जिले) N.A. राज्य N.A.
(III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारारें) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है N.A.
(IV) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई N.A.
(V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था N.A.
(VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं N.A.

2. गुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। N.A.

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मागला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं N.A.
(II) न्यायालय, जिसने दंडित किया है N.A.
(III) पुलिस थाना (थाने) N.A. जिला (जिले) N.A. राज्य N.A.
(IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारारें) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है N.A.
(V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे N.A.
(VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं N.A.

स्थान:- रजौली

तारीख:- 11.01.2012

सत्यापन

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

गोपाल सिंह राणा

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग गिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।

रजौली स्थान पर आज तारीख 11.01.2012 को सत्यापित किया।

गोपाल सिंह राणा

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

पृष्ठ 15 का 8

टिप्पणी : इस प्ररूप के स्तम्भ जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाए।